

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 17/2019

निर्णय दिनांक - 04.04.2019

करण सिंह पिता हनुमान सिंह शेखावत, आयु 66 वर्ष, निवासी निम्बाहेड़ा।

- प्रार्थी

// बनाम //

1. आशाराम पिता मोतीलाल पुर्बिया, आयु वयस्क, निवासी चान्दखेड़ा।
2. भंवरलाल पिता मोतीलाल पुर्बिया, आयु वयस्क, निवासी चान्दखेड़ा।
3. चम्पालाल पिता मोतीलाल पुर्बिया, आयु वयस्क, निवासी चान्दखेड़ा।
4. देवीलाल पिता राम सिंह जाट, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
5. मु. गीता पुत्री भैरूलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
6. मु. सुशीला पुत्री भैरूलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
7. मु. सीता पुत्री भैरूलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
8. मु. पुष्पा पुत्री भैरूलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
9. मु. वाली बाई बेवा भैरूलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
10. किशनलाल पिता रामलाल माली, आयु वयस्क, निवासी सी.एस. 120, कैलाश नगर-2, जे.के. कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
11. राधेश्याम पिता रामलाल माली, आयु वयस्क, निवासी कैलाश नगर-2, निम्बाहेड़ा।
12. हेमन्त पिता रामलाल माली, आयु वयस्क, निवासी कैलाश नगर-2, निम्बाहेड़ा।
13. मु. मांगी बाई बेवा रामलाल माली, आयु वयस्क, निवासी सीएस-120, कैलाश नगर-2, जे.के. कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।

- विपक्षीगण

### प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

#### आदेश


पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा मण्डा गुलफरोशान की खाता संख्या 61 की आराजी नं. 871 रकबा 0.4800 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 200/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में और किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि वाके मौजा मण्डा गुलफरोशान की खाता संख्या 61 की आराजी नं. 871 रकबा 0.4800 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 04.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी





निम्बाहेड़ा

